



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939

No. 2702]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

का.आ. 3085(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 3 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3118(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) पैरा 1 में, क्रम संख्या (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2)	श्री संजय गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नामनिर्देशिती	सदस्य, [उक्त अधिनियम की धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित]।”।
------	---	--

(ii) पैरा 2 में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल V (भाग VI)

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3118(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 366(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 944(अ), तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2017

S.O. 3085(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 3118(E), dated the 3rd October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd October, 2016, namely:—

2. In the said notification,—

(i) in paragraph 1, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

“(2)	Shri Sanjay Gupta, President, Nominee of the Institute of Cost Accountants of India	Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A of the said Act].”;
------	---	--

(ii) in paragraph 2, for the words “one year” the words “two years” shall be substituted.

[F. No. 1/5/2001-CL-V (Part VI)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3118(E), dated the 3rd October, 2016 and was amended *vide* notification number S.O. 366(E), dated the 8th February, 2017 and *vide* notification number S.O. 944(E), dated the 23rd March, 2017.